>

Title: Election of one member from Lok Sabha to the National Board for Micro, Small and Medium Enterprises.

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड नियम, 2006 के नियम 6 के उपनियम (दो) के साथ पठित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 3 की उपधारा (3) के खण्ड (घ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन श्री प्रकाश परांजपे, जिनका निधन हो गया है, के स्थान पर राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

MR. SPEAKER: The question is:

"That in pursuance of clause (d) of sub-section (3) of section 3 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006read with sub-rule (ii) of rule 6 of the National Board for Micro, Small and Medium Enterprises Rules, 2006, the Members of this House do proceed to elect, in such manner, as the Speaker may direct, one Member from amongst themselves to serve as a member of National Board for Micro, Small and Medium Enterprises *vice* Shri Prakash Paranjpe died, subject to other provisions of the said Act and the rules made thereunder. "

The motion was adopted.

-